संख्या 402/92/2006-एमसी (2009 का 28)
भारत सरकार/वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

* * *

नई दिल्ली दिनांक 24 नवंबर 2009

प्रेस विज्ञप्ति

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने वित्त अधिनियम 2009 द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 144ग के तहत गठित, विवाद समाधान पैनल (डीआरपी) की प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए नियमों को अधिसूचित किया है। ये नियम 20 नवंबर 2009 से लागू हुए हैं। उक्त नियमों के तहत, भारत के आठ शहरों, दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरु और पुणे में डीआरपी का गठन किया जाएगा। यह अधिसूचना आयकर विभाग की वेबसाइट http://incometaxindia.gov.in पर उपलब्ध है।

कोई भी विदेशी कंपनी, या हस्तांतरण मूल्य निर्धारण से संबंधित मुद्दों वाली कोई भी घरेलू कंपनी, जिसके मामले में आयकर मूल्यांकन अधिकारी द्वारा प्रस्तुत आय या हानि में कोई परिवर्तन प्रस्तावित किया जाता हो, वह ड्राफ़्ट मूल्यांकन आदेश प्राप्त करने के एक माह के भीतर डीआरपी के समक्ष मूल्यांकन अधिकारी को निर्देश देने के रूप में उचित उपाय के लिए आवेदन कर सकती है। यह निर्देश मूल्यांकन अधिकारी के लिए बाध्यकारी होगा, लेकिन करदाता आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (आईटीएटी) के समक्ष डीआरपी के निर्देशों को शामिल करने वाले मूल्यांकन आदेश के खिलाफ अपील करने के लिए स्वतंत्र होगा।

विवाद समाधान पैनल एक कॉलेजियम होगा जिसमें तीन करदाता आयुक्त होंगे। यह तंत्र निवेशक के अनुकूल है और इससे करदाता की शिकायत और मुकदमेबाज़ी में भी कमी आने की अपेक्षा की जाती है।

XXX